

भवन निर्माण विभाग

भवन निर्माण विभाग के संलेख ज्ञापांक-7262 दिनांक-14.12.2020 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-22.12.2020 में मद संख्या-07 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी संचिका लौटायी जाती है।

7. श्री इहाबुर रहमान, सहायक अभियंता, भवन अवर प्रमंडल सं०-2, दरभंगा के विरुद्ध दिनांक-12.02.2011 से लगातार पाँच वर्षों से अधिक अवधि के लिए बिना पूर्वानुमति / सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण, विभागीय संकल्प सं०-90, दिनांक-03.01.2019 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सेवा संहिता के नियम-76 के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(xi) के तहत वृहद दण्ड के रूप में "सेवा से बर्खास्तगी" के दण्ड प्रस्ताव की स्वीकृति।

7. स्वीकृत।

(उपेन्द्र नाथ पाण्डेय)
सरकार के विशेष सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

अंशुल कुमार

प्रवक्त/सचिव (निगा)

उपेन्द्र नाथ पाण्डेय
28/12/2020

अंशुल कुमार
28/12/20

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

मंत्रिपरिषद के विचारार्थ संलेख :-

विषय :-

गोपनीय

मुहरबंद

श्री शहाबुर रहमान, सहायक अभियंता, भवन अवर प्रमंडल सं०-२, दरभंगा के विरुद्ध दिनांक-12.02.2011 से लगातार पाँच वर्षों से अधिक अवधि के लिए बिना पूर्वानुमति/सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण, विभागीय संकल्प सं०-90, दिनांक-03.01.2019 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सेवा संहिता के नियम-76 के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14 (xi) के तहत बृहत दण्ड के रूप में "सेवा से बर्खास्तगी" के दण्ड प्रस्ताव की स्वीकृति।

1. श्री शहाबुर रहमान, सहायक अभियंता, भवन अवर प्रमंडल सं०-२, दरभंगा के विरुद्ध दिनांक-12.02.2011 से लगातार पाँच वर्षों से अधिक अवधि से बिना पूर्वानुमति/सूचना के कार्यालय एवं अपने कर्तव्यों से लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा उच्चाधिकारियों के निर्देश का अनुपालन नहीं करने आदि आरोपों के लिए आरोप पत्र-“क” गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-8807 दिनांक-20.08.2018 (परिशिष्ट-i) द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री रहमान को प्रेषित पत्र डाक विभाग द्वारा वापस कर दिया गया। पुनः विभागीय पत्रांक-10433, दिनांक-04.10.2018 (परिशिष्ट-ii) द्वारा श्री रहमान के आवासीय पता पर पत्र भेजते हुए उनसे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त पत्र की प्रतिलिपि कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, दरभंगा को प्रेषित करते हुए पत्र का तामिला कराते हुए उसकी सूचना विभाग को देने का अनुरोध किया गया।

3. श्री रहमान द्वारा पत्र लेने से इंकार किये जाने के कारण उक्त पत्र डाक विभाग द्वारा पुनः वापस कर दिया गया। कार्यपालक अभियंता, भवन संरचना प्रमंडल, दरभंगा के पत्रांक-1883, दिनांक-05.11.2018 (परिशिष्ट-iii) द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उनके कार्यालय द्वारा श्री रहमान को प्रेषित पत्र पुनः वापस आ गया, जिसमें डाक विभाग द्वारा दिनांक-17.10.2018 एवं 22.10.2018 को प्राप्त कर्ता के उपलब्ध न रहने एवं दिनांक-23.10.2018 को लेने से इंकार किया गया की टिप्पणी अंकित है।

4. श्री रहमान के विरुद्ध वर्णित आरोपों की जाँच विहित रीति से करने हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत विभागीय संकल्प सं०-90, दिनांक-03.01.2019 (परिशिष्ट-iv) द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी, जिसमें श्री कश्यप कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता (पटना) को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

5. उक्त विभागीय कार्यवाही की दिनांक-3.01.2019, दिनांक-20.02.2019 एवं दिनांक-15.03.2019 को हुई सभी सुनवाई में आरोपित पदाधिकारी श्री शहाबुर रहमान अनुपस्थित रहे। यहाँ तक कि दिनांक-06.04.2019 को दैनिक समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" में श्री रहमान को विभागीय कार्यवाही में उपस्थित होने संबंधी सूचना प्रकाशित किये जाने के बावजूद दिनांक-15.04.2019 को हुई सुनवाई में श्री रहमान अनुपस्थित रहे।

कृ०प०उ०

6. संचालन पदाधिकारी द्वारा दिनांक-05.06.2020 (परिशिष्ट-v) को समर्पित जाँच-प्रतिवेदन में श्री रहमान के विभागीय कार्यवाही में उपस्थित नहीं होने एवं अपना पक्ष रखने में अभिरुचि नहीं लेने के आधार पर यह मानते हुए उनके विरुद्ध लगाये गये सभी आरोप स्वीकार्य है, के आधार पर श्री शहाबुर रहमान के विरुद्ध प्रतिवेदित सभी आरोप प्रमाणित है।

7. उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर श्री रहमान के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14 (xi) द्वारा "सेवा से बर्खास्तगी" के दण्ड प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया गया। (परिशिष्ट-vi)

8. विभागीय पत्रांक-4110 दिनांक-03.07.2020 (परिशिष्ट-vii) द्वारा सेवा से बर्खास्तगी के अनुमोदित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना की सहमति/परामर्श की अपेक्षा की गयी, बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-1882 दिनांक-21.10.2020 (परिशिष्ट-viii) द्वारा श्री रहमान के विरुद्ध प्रस्तावित दण्ड पर सहमति प्रदान की गयी है।

9. श्री शहाबुर रहमान की जन्मतिथि 05.08.1963 एवं सेवानिवृत्ति की तिथि-31.08.2023 है।

10. श्री शहाबुर रहमान, सहायक अभियंता, भवन अवर प्रमंडल सं०-2, दरभंगा के विरुद्ध दिनांक-12.02.2011 से लगातार पाँच वर्षों से अधिक अवधि के लिए बिना पूर्वानुमति/सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित रहने, उच्चाधिकारियों के निदेश की अवहेलना करने एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने तथा स्वेच्छाचारिता दर्शाने संबंधी प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14 (xi) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत "सेवा से बर्खास्तगी" के दण्ड प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रार्थित है।

(मनीष कुमार)

सरकार के विशेष सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-भवन/11/आरोप(दरभंगा)-25/2018.7262/-पटना दिनांक- 14.12.2020

प्रतिलिपि:-संलेख की पैतालीस (45) प्रतियों के साथ (अनुलग्नक सहित) मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक में सम्मिलित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

29
8/11/21

356

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग
सं0सं0-भवन/11/आरोप(दरभंगा)-25/2018.....180 (अ/)/पटना, दिनांक- 11.1.21

:: अधिसूचना ::

श्री शहाबुर रहमान, तत्कालीन सहायक अभियंता, भवन अवर प्रमंडल सं0-2, दरभंगा के विरुद्ध अवर प्रमंडल सं0-2, संरचना प्रमंडल, दरभंगा से दिनांक-12.02.2011 से लगातार अब तक अर्थात् पाँच वर्षों से अधिक अवधि से बिना पूर्वानुमति/सूचना के कार्यालय एवं अपने कर्तव्यों से लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा उच्चाधिकारियों के निदेश का अनुपालन नहीं किये जाने आदि आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-10433 (भ0) दिनांक-04.10.2018 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त पत्र श्री रहमान के आवासीय पता पर भेजा गया, जो उनके द्वारा नहीं लिये जाने के कारण वापस आ गया। कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल, दरभंगा को भी उक्त पत्र तामिला कराने हेतु दिया गया किन्तु उनके द्वारा भी उक्त पत्र बिना तामिला के ही वापस कर दिया गया।

2. उक्त स्थिति में श्री रहमान के विरुद्ध वर्णित आरोपों की जाँच विहित रीति से करने हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत विभागीय संकल्प संख्या- 90, दिनांक-03.01.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई जिसमें, श्री कश्यप कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता (पटना) को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही की दिनांक-03.01.2019, दिनांक-20.02.2019 एवं दिनांक-15.03.2019 को हुई सभी सुनवाई में आरोपित पदाधिकारी श्री शहाबुर रहमान अनुपस्थित रहे। यहाँ तक कि दिनांक-06.4.2019 को दैनिक समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" में श्री रहमान को विभागीय कार्यवाही में उपस्थित होने संबंधी सूचना प्रकाशित किए जाने के बावजूद दिनांक-15.4.2019 को हुई सुनवाई में श्री रहमान अनुपस्थित रहे। फलतः संचालन पदाधिकारी द्वारा दिनांक- 05.6.2020 को समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री रहमान के विभागीय कार्यवाही में उपस्थित नहीं होने एवं अपना पक्ष रखने में अभिरुचि नहीं लेने को आधार बनाकर उनके विरुद्ध लगाये गये सभी आरोपों को स्वीकार्य मानते हुए प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

4. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 में वर्णित प्रावधान के आलोक में श्री रहमान से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री रहमान द्वारा निर्धारित समय सीमा में द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युक्त समर्पित नहीं किया गया।

5. तदनुसार श्री शहाबुर रहमान के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14(xi) के तहत "सेवा से बर्खास्तगी" का दण्ड अधिरोपित किया गया।

6. उक्त अधिरोपित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-4110 दिनांक- 03.7.2020 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना की सहमति/परामर्श प्राप्त की गई। बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक-1882, दिनांक-21.10.2020 द्वारा उक्त अधिरोपित दण्ड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।

7. उपर्युक्त वर्णित बिन्दुओं के आधार पर श्री शहाबुर रहमान, तत्कालीन सहायक अभियंता, भवन अवर प्रमंडल सं0-2, दरभंगा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित पाये जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14(xi) के तहत निम्न दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:-

(i) सेवा से बर्खास्तगी

8. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के विशेष सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रतिलिपि:- भवन/11/आरोप(दरभंगा)-25/2018.....180 (अ) / पटना, दिनांक 11.1.21

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/ई गजट कोषांग, क्ति विभाग, बिहार, पटना/ क्ति (कै0दा0नि0को0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- भवन/11/आरोप(दरभंगा)-25/2018.....180 (अ) / पटना, दिनांक- 11.1.21

निबंधित

प्रतिलिपि:-श्री शहाबुर रहमान, तत्कालीन सहायक अभियंता, भवन अवर प्रमंडल सं0-2, संरचना प्रमंडल, दरभंगा, भवन निर्माण विभाग आवासीय पता-रमजानपुर, लंगर टोली, पो0-बोंकीपुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- भवन/11/आरोप(दरभंगा)-25/2018.....180 (अ) / पटना, दिनांक 11.1.21

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, दरभंगा/सभी उप सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, राजपत्रित स्थापना-01 एवं 02, भवन निर्माण विभाग/अवर सचिव, भवन निर्माण विभाग/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।